

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **22 NOV 2021**

क्रमांक एफ-2-10/2019/सात-2 -:- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, **3 वर्ष** की परिवीक्षा पर नायब तहसीलदार के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे 4200) में नियुक्त किया जाता है एवं निम्नांकित तालिका में, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-(5) में दर्शाए गए जिले में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	लोक सेवा आयोग की चयन सूची का वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक पता	श्रेणी	पदस्थापना का कार्यालय एवं जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	श्री रोशन आहुजा आत्मज श्री राजकुमार आहुजा वार्ड क्र. 07, मेन रोड इंदिरा चौक, छुरीकला, तहसील कटघोरा जिला कोरबा, छ.ग. पिन कोड 495450	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर
2	2	श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान आत्मज श्री सुधाकर सिंह चौहान मिलन चौक, कुदुदण्ड बिलासपुर जिला बिलासपुर, छ.ग. पिन कोड 495001	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा
3	3	श्री पुष्पराज मिश्रा आत्मज श्री एच.एन.मिश्रा अशोक नगर महामाया आई.टी.आई. गली खमतलाई, जिला बिलासपुर, छ.ग., पिन कोड 495001	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	4	श्री अंकित सिंह राजपूत आत्मज श्री सालिक राम राजपूत वार्ड क्रमांक-1 ब्लॉक रोड़ तखतपुर, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर, छ.ग. पिन कोड 495330	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला मुंगेली
5	5	श्री राम लखन चौहान आत्मज श्री राम चन्द्र चौहान कर्मा चौक न्यू अयोध्या नगर न्यू चंगोराभाठा, रायपुर जिला रायपुर, छ.ग. पिन कोड 492013	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद
6	6	श्री सुशील कुमार सेन आत्मज श्री शिवकुमार सेन श्री पार्थेश्वर पाण्डे पम्प हाउस के पास नेगिगुडा, घाटपदमुर, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग. पिन कोड 494001	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर
7	7	श्री पंकज कुमार आत्मज श्री प्रेम लाल बघेल क्वार्टर नं. 3382 काजल किराना स्टोर के पास, रावतपुरा कालोनी मठपुरैना, पोस्ट सुन्दर नगर रायपुर, जिला रायपुर, पिन कोड 492013	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा
8	8	श्री विपिन बिहारी पटेल आत्मज श्री पारस प्रसाद पटेल म.क्र. 178 पटेल आवास गौटिया पारा, ग्राम शिवनंदनपुर, पोस्ट विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग. पिन कोड 497226	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर
9	9	श्री राहुल साहू आत्मज श्री नरेश साहू मकान नं. 168, मंडलपारा, ग्राम सुरदा, जिला-मुंगेली, छ.ग. पिन कोड 495334	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा
10	10	श्रीमती कविता पटेल आत्मज श्री बद्री प्रसाद पटेल C/O बद्री प्रसाद पटेल शिवाजी चौक, संतोषी नगर रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग. पिन कोड 492001	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	11	सुश्री प्रकृति सिंह आत्मज श्री संदीप सिंह कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग. पिन कोड 495701	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद
12	12	सुश्री नेहा कौशिक, आत्मज श्री प्रमोद कुमार कौशिक आनंद अपार्टमेंट के सामने 27 खोली विकास नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर, छ.ग. पिन कोड 495001	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर
13	13	डॉ. सुरेखा वर्मा आत्मज श्री लेख राम वर्मा म.न. जी-06, बी.टी.आई. कालोनी, शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग., पिन कोड 493228	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव
14	14	श्री अमरदीप अंचल आत्मज श्री रामखिलावन अंचल, ग्राम+पोस्ट-जांजी, थाना सीपत तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर, छ.ग. पिन कोड 495550	अनु.जाति	कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव
15	15	श्री विक्रान्त कुमार अंचल आत्मज श्री कपूरचंद अंचल मकान नं. ए/13 गणपति होम्स विवेकानंद नगर मोपका, बिलासपुर जिला बिलासपुर, छ.ग. पिन कोड 495001	अनु.जाति	कार्यालय कलेक्टर, जिला बीजापुर
16	16	श्री उमेश कुमार चौहान आत्मज श्री लखन लाल चौहान ग्राम बगडेवा, पोस्ट तिऊर तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ छ.ग., पिन कोड 496661	अनु.जाति	कार्यालय कलेक्टर, जिला उ.ब. कांकेर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	17	सुश्री हिना टंडन आत्मज श्री सुभाष चन्द्र टंडन मकान नं. 14/31, पाठक किराना के सामने गली, विनोबा नगर बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ.ग. पिन कोड 495001	अनु.जाति	कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर
18	18	श्री सुमन दास मानिकपुरी आत्मज श्री गणेश दास मानिकपुरी ग्राम चैनगांव, वार्ड 15, पोस्ट एवं तह. गुण्डरदेही जिला-बालोद, छ.ग. पिन कोड- 491223	अ.पि.व. (EXS)	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा
19	19	श्री ओंकार बघेल आत्मज श्री जगन्नाथ बघेल ग्राम- करंजी, वि.ख.+तह. तोकापाल जिला-बस्तर, छ.ग पिन कोड 494005	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर
20	20	श्री लकेश्वर प्रसाद आत्मज श्री मोहन सिंह ग्राम सुखरीखुर्द, पोस्ट सुखरीकला तहसील करतला, जिला कोरबा, छ.ग., पिन कोड - 495671	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा
21	21	श्री अमित आत्मज श्री सुरेश ग्राम बुड़ेनी, पोस्ट ऑफिस-खौली, जिला- रायपुर, छ.ग. पिन कोड - 493225	अ.पि.व. (निःशक्तजन)	कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर- रामानुजगंज
22	22	श्री दुर्गेश सिंह तंवर आत्मज श्री दिलबोध सिंह तंवर S/O दिलबोध सिंह, म.न. 147, ग्राम पण्डरीपानी, पोस्ट-गोढ़ी बजरंग चौक, जिला कोरबा, छ.ग. पिन कोड 495683	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	23	सुश्री कीर्तिका राज आत्मज श्री मध्वेश्वर राज ग्राम+पोस्ट- बकसाही, तहसील-पाली, जिला कोरबा, छ.ग. पिन कोड 495449	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा
24	24	श्री विजय प्रताप सिंह आत्मज श्री सुन्दर राम ग्राम - गोपीपुर, पोस्ट-देवनगर जिला- सूरजपुर, छ.ग. पिन कोड 497333	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव
25	25	श्री ओमप्रकाश चन्द्रवंशी आत्मज श्री इंदरू राम चन्द्रवंशी S/O श्री इंदरूराम चन्द्रवंशी ग्राम+पोस्ट- मोहगांव थाना पाण्डातराई, तहसील पण्डरिया जिला- कबीरधाम, छ.ग. पिन कोड 491559	अ.पि.व. (निःशक्तजन)	कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर
26	26	श्री हरीश कान्त ध्रुव आत्मज श्री लेखराम ध्रुव S/O श्री लेखराम ध्रुव ग्राम+पो. तुलसी (मानपुर) वि.ख. तिल्दा जिला-रायपुर, छ.ग. पिन कोड 493195	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर
27	27	श्रीमती मोनल साय पति श्री बृजकिशोर सिंगार पुराना ब्लॉक ऑफिस कॉलोनी, कांसाबेल जिला जशपुर, छ.ग. पिन कोड 496223	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरिया
28	28	श्री हरि प्रसाद आत्मज श्री पवित्रो राम ग्राम हीरापुर, पो. आफिस घरजियांबथान, तहसील पत्थलगांव जिला-जशपुर, छ.ग. पिन कोड 496118	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	29	सुश्री योगिता पाथरे आत्मज श्री हिरावत राम पाथरे सिटी कोतवाली, थाना पुलिस लाईन दंतेवाड़ा म.न. पी/10 तहसील दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा, छ.ग. पिन कोड 494449	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर
30	30	श्री नरेन्द्र कुमार कंवर आत्मज श्री लाल सिंह कंवर ग्राम उरगा, पोस्ट आफिस कुदुरमाल तहसील कोरबा, जिला— कोरबा, छ.ग. पिन कोड 495674	अ.ज.जा. (EXS)	कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा

2/ उपरोक्त नियुक्तियां मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित याचिका क्र. 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय के अध्याधीन होगी।

3/ उपरोक्त अभ्यर्थियों को समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-1/2007/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के अनुसार " किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जावेगा "

4/ परीक्षाधीन अभ्यर्थियों को वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 की कंडिका-04 में निहित प्रावधान अनुसार " सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,

तृतीय वर्ष— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

5/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को जब प्रशासन अकादमी रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

6/ परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर नायब तहसीलदार को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में पुनः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।

7/ परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा, जो अधिकारी उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो।

8/ उपरोक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अंतर्गत शासित होगी।

9/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

- 5/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को जब प्रशासन अकादमी रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- 6/ परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर नायब तहसीलदार को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में पुनः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।
- 7/ परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा, जो अधिकारी उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो।
- 8/ उपरोक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अंतर्गत शासित होगी।
- 9/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

10/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

11/ परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पार न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई समस्त राशि, जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। (बाँण्ड का प्रारूप संलग्न है)

12/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विजय कुमार चौधरी)

अवर सचिव 22/11/2021

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-2-10/2019/सात-2

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 NOV 2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 2462/15/चयन/2021, दिनांक 24.09.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
8. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि भविष्य में आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. आयुक्त, भू-अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
10. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
11. कलेक्टर, जिला छ.ग.। उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व मूल जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराये। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न कराकर उनके प्रकरण उचित मार्गदर्शन हेतु इस विभाग को प्रेषित करें। कृपया संबंधित से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बॉण्ड फार्म भरवाकर इस विभाग को भेजें।
12. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
13. चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।
14. जिला कोषालय अधिकारी,, छ.ग.।
15. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से **एक माह** के भीतर संबंधित जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल-दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें, ताकि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर, आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें।
16. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(टीप :- आदेश, राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue/> पर उपलब्ध है)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
22/11/2021

The Governor of Chhattisgarh

WHERE AS, I.....

S/o.....R/o.....

.....probationer in the ~~Tutor~~
Administrative Service (Hereinafer refferred to as the probationer)
being entitled to receive from the Governor (Hereinafter) referred
to as the State Government) Pay and allowances during the period
in which I am under probation.

Now, We, the probationer.....

S/o.....R/o.....

and Shri.....(surety)

S/o.....R/o.....

..... (hereinafter referred to as surety) jointly
and severally, do hereby promise and agree in the event of the
failure of the probationer to complete probation to the satisfaction
of the State Government, to refund the State Government on
demand any money paid to him during his probation period
including the pay and travelling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder
shall not be effected, by the State Government extending the period
of probation or giving the probationer an extention of time for
payment of compounding the amount hereunder-

Contd....2

// 2 //

"Stamp duty payable on this bond shall be borne and paid by the Government.

Dated thisday of20..

Signature of probationer.....

Full Name.....

Signed by probationer in the presence of

Name of witness.....

&

Signature.....

Address.....

.....

Occupation.....

Name and signature of the surety.....

Signed by surety in the presance of;

Name of withness & Signature.....

.....

Address.....

.....

Occupation.....